


148



न्यायालय श्रीमान अध्याक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, भोपाल

R-4021-PBR-1

पुनरोक्षण क्रमांक-

श्री व. क. दास
कानपुर 2012
2011/16 नं.
9/3/21
012



1- उर्मिला साहू पत्नी सुरेश साहू
आयु-वयस्क, निवासी-म. न. 55,
इम्राहिमगंज, मैन रोड, धासीराम का बाग,
भोपाल 46000

2- मुकेश हेमानी पुत्र गुलाबचंद हेमानी,
आयु-वयस्क निवासी म. न. 10 गली नं. 01
घोड़ान कक्षा, भोपाल

-----पुनरोक्षणकर्ता गण

उत्तर

विरुद्ध

1- हरोनारायण पुत्र स्व० किशनलाल
आयु-वयस्क निवासी उमरावगंज
तह. गौहरगंज जिला रायसेन 46000

2- नारायणसिंह आ० श्री हीरालाल
निवासी-राजवंश होटल के पीछे, करौंद,
भोपाल

3- चौखेलाल आ० रूपसिंह,

4- राजेन्द्रसिंह ठाकुर आ. श्री स्व. स्व. ठाकुर

5- महिपालसिंह आ० अज्ञात बूँडे कांस्टेबिल
सभी निवासीगण-राजवंश होटल के पीछे,
करौंद, भोपाल

6- सर्वसाधारण

-----अनावेदकगण

पुनरोक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म०प्र० मू०रा० संविधा-1959

पुनरोक्षणकर्ता गण मान० न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन करते हैं :-

पुनरोक्षणकर्ता गण के स्वामित्व एवं आधिपत्य का प्लॉट क्रमांक-
आम करौंद कला तहसील गोविंदपुरा वत-भोपाल में स्थित है। उक्त

अध्याक्ष
mukesh

012

// 2 //

भूखण्ड ग्राम करोंड कला स्थित भूमि खतरा क्रमांक- 75/1 के अंश भाग पर स्थित है। अनावेदक क्रमांक-01 द्वारा स०प्र०भू०रा०सं०डि०-1959 की धारा-250 के अंतर्गत अधिनस्थ न्यायालय नाथब तहसीलदार सडोदय के समक्ष पुनरोक्षणकर्तागण को बिना पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया एवं नाथब तहसीलदार सडोदय द्वारा कब्जा से वेदखन करने का आदेश पारित किया गया, अन्य पक्षकारों द्वारा स०प्र०भू०रा०सं०डि०-1959 की धारा-44१/1 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारों के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील में पक्षकार के रूप में सम्मिलित होने के वास्ते पुनरोक्षणकर्तागणों ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश-1 नियम-10 व्य० प्र० सं० का प्रस्तुत किया, अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारों द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया तथा उक्त अपील शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही में रखा गया। इन्हीं आदेश पारित किया इस कारण पुनरोक्षणकर्तागण मान० न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर यह पुनरोक्षण याचिका निम्न प्रकरण के तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-

अमितभक्त
mukesh

Om

30.11.2016

प्रस्तुतकार
आवेदन की जांच के पी
छे पी० पी० तिवारी आयोगात्मक उपलक्षित
शाहसता पर लुना गया / अनुर्वभागीय
आधिकारी के आदेश दिनांक
27.11.2016 का अवरोधन किया

30/11/16

अनुर्वभागीय आधिकारी डा० अजीत
में आदेश पारित किया गया है।
सध प्रदेश भू राजस्व संचालन की
द्वारा 50 के अन्तर्गत अपीवीय
आदेश के विरुद्ध पिगतारी प्रातिवर्धित
है। अतः यह पिगतारी विधि
के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत
किये जा रहे हैं अज्ञात की जाती
है।
अ

अध्यक्ष